भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 646

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

जनजातीय युवाओं और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

646. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर जनजातीय युवाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के लिए नए उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) : जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत (अपग्रेड) किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आज तक, 715 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 264 जिलों में लगभग 1,33,929 छात्रों को लाभान्वित करते हुए देशभर में 476 ईएमआरएस के क्रियाशील होने की सूचना है। इन विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए सीटों की संख्या बराबर है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त समिति, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस), जिसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है, ने मार्च 2024 में 200 ईएमआरएस में 400 कौशल प्रयोगशालाएं (प्रति विद्यालय 2 कौशल प्रयोगशाला) स्थापित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। । इसके अलावा, एनईएसटीएस ने सीबीएसई और विश्व बैंक के सहयोग से

इन ईएमआरएस में पढ़ने वाले जनजातीय छात्रों के कौशल प्रशिक्षण की सुविधा के लिए ईएमआरएस में 14 और कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। एनईएसटीएस ने नीति आयोग के साथ मिलकर 16 ईएमआरएस में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को कौशल विकास में अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

उपर्युक्त योजना के अतिरिक्त सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना भी शुरू की गई। यह अभियान 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा। डीएजेजीयूए में शिक्षा क्षेत्र सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतरों को भरने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए 1000 छात्रावासों का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त, डीएजेजीयूए के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय बच्चों के लिए चलाए जा रहे आश्रम विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्रीय सहायता के साथ राज्यों की सहायता करेगा। डीएजेजीयूए के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) डीएपीएसटी निधियों के साथ जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना के अनुसार जनजातीय युवाओं के लिए 30 जनजातीय कौशल केंद्र स्थापित करेगा।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के समन्वय में पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा की योजना को लागू कर रहा है। स्कूली शिक्षा में लड़कियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न उपायों को लक्षित किया गया है, जिसमें लड़कियों के लिए पहुँच को आसान बनाने के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा आठ तक की लड़कियों को मुफ्त वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें, दूरदराज/पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त शिक्षक और शिक्षकों के लिए आवास-गृह, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों (सीडब्लूएसएन) को वजीफा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों सहित लिंग-संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने तथा बालिकाओं तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है, जो देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्वीकृत अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित 10-18 वर्ष की आयु की VI से XII कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय हैं।

*****